भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4306

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दादरा और नगर हवेली में आयुष्मान काड्र्स

4306. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दादरा और नगर हवेली संघ शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बनाए गए आयुष्मान कार्ड की वैधता अवधि केवल 3 या 4 महीने है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार ने इस बात को किस तरह से देखा है कि इस योजना के अंतर्गत लोगों को शेष आठ महीनों के दौरान नि:शुल्क उपचार किस प्रकार मिल सकता है जबकि उक्त कार्ड केवल 3 या 4 महीनों की अवधि के लिए ही बनाए जाते हैं और ऐसे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है तथा नि:शुल्क उपचार के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थी, जिनमें दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के निवासी भी शामिल हैं, किसी भी समय, अर्थात पूरे वर्ष अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।

दमन और दीव और दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र उस संघ राज्य क्षेत्र में एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर किए गए निवासियों के इतर निवासियों के लिए एबी-पीएमजेएवाई पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करते हुए एक अलग सह योगदान वाली योजना संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित करता है। यह राज्य-विशिष्ट योजना पूरी तरह से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसमें नामांकन के लिए फरवरी से अप्रैल तक की अवधि तय की जाती है।

एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों को पूरे वर्ष सभी पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र अन्य रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार प्रदान करता है।

****